THE MADHYA PRADESH SECOND EXTENSION OF LAWS ACT, 1961 [Act No. XL. of 1961]

[08th December, 1961]

CONTENTS

Sections:
1. Short title and commencement
2. Definitions
3. Extension and amendment of certain Acts
4. Construction of references to laws not in force in any region 5. Construction of references to authorities
6. Repeal
7. Power to remove difficulties
FIRST SCHEDULE
SECOND SCHEDULE

THE MADHYA PRADESH SECOND EXTENSION OF LAWS ACT, 1961

[Act No. XL. of 1961]

[08th December, 1961]

An Act to provide for the extension of certain laws in force in some of the regions of Madhya Pradesh to the other regions thereof

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twelfth Year of the Republic of India as follows

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) *"Appointed day"* means the date appointed under sub-section (2) of Section 1 for the coming into force of this Act;

(b) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Madhya Pradesh Extension of Laws Act, 1958 (No. 23 of 1958), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Extension and amendment of certain Acts.-(1) The Acts specified in Part A of the First Schedule and as in force in the Mahakoshal region immediately before the appointed day, are, as from the appointed day, hereby extended to all other regions of the State.

(2) The Acts specified in Part B of the First Schedule and as in force in the Madhya Bharat region immediately before the appointed day, are as from the appointed day, hereby extended to all other regions of the State.

(3) The Acts extended by sub-sections (1) and (2) shall in their application to the whole of Madhya Pradesh, be amended in the manner and to the extent specified in the First Schedule.

(4) The Acts extended by sub-sections (1) and (2) shall, unless otherwise expressly provided therein, come into force in any or all regions, as the case may be, from the appointed day.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-section (3) wherever in the long title, preamble or short title of any of the Acts extended by sub-section (1) or sub-section (2), any of the expressions Central Provinces and Berar" or 'Madhya Bharat" occurs there shall be substituted there for the expression "Madhya Pradesh.

4. Construction of references to laws not in force in any region.-Any reference in any Act specified in the First Schedule to a law which is not in force in any region of the State shall, in relation to that region, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that region.

5. Construction of references to authorities.-(1) Any reference in any Act specified in the First Schedule to any authority not in existence in any other region of the State shall, in relation

to that region, have reference to such authority as the State Government may, by notification, specify as the corresponding authority.

(2) Any reference, by whatever form of words, in any law for the time being in force in any region of the State to any authority compet ent at the date of the passing of that law to exercise any powers or discharge any functions in that region shall, where a corresponding new authority has been constituted by or under any Act now extended to that region, have effect as if it were a reference to that new authority.

6. Repeal.-On and from the appointed day, the enactments specified in the Second Schedule shall stand repealed.

7. Power to remove difficulties.-(1) If in consequence of anything contained in this Act, any difficulty arises in giving effect to the provisions of any Act specified in the First Schedule, the State Government may, by order notified in the Gazette, make such provisions or give such directions as appear to be necessary for the removal of the difficulty.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, any such notified order may-

(a) specify the corresponding authorities within the meaning of Section 5;

(b) provide for the transfer of any matter pending before any Court, Tribunal or other authority immediately before the appointed day, to any corresponding Court, Tribunal or other authority for disposal;

(c) specify the areas or circumstances in which, or the extent to which or the conditions subject to which, anything done or any action taken under any enactment repealed by that section shall be recognised or given effect to under the corresponding provision of the Act as now extended.

THE FIRST SCHEDULE

PART A

[See sub-section (1) of Section 3]

1. The Interest Act, 1839 (No. XXXII of 1839)

2. The Indian Treasure Trove Act, 1878 (No. VI of 1878)

Section 1. After "Part B States" add "other than the Madhya. Bharat and Sironj regions of the State of Madhya Pradesh'.

Section 4. Omit 'exceeding in amount or value ten rupees."

3. The Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894)

Preamble,- After "Part B States" insert "other than the Madhya Bharat and Sironj regions of the State of Madhya Pradesh."

Section 1.- (a) In sub-section (2), after "Part B States" insert "other than the Madhya Bharat and Sironj regions of the State of Madhya Pradesh." (b) Omit sub-section (4).

Section 6.- In the proviso, for "the State Government of Bombay" substitute "the State Government of Madhya Pradesh".

After Section 39, insert the following, namely:-

"39-A. Power of Superintendent to send a prisoner to hospital or asylum for special treatment.-(1) The Superintendent may, if in his opinion, a prisoner requires special treatment in a hospital outside the prison or in any asylum as defined in the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), send him or cause him to be sent to such hospital or asylum, subject to the prisoner or any relative or friend of the prisoner executing such bond and abiding by such other conditions, if any, as the State Government may prescribe.

(2) The period spent by the prisoner for such treatment in the hospital or asylum or in going thereto or returning there from shall be deemed to be part of the period of his detention in the prison.

Explanation 1.-Nothing contained in this section shall be deemed to effect the operation of Section 30 of the Prisoners Act, 1900 (3 of 1900), in cases to which that section applies.

Explanation II.-In this section, 'prisoner' means a convicted criminal prisoner.

39-B. Punishment for escape or attempt to escape from hospital or asylum.-(1) If any prisoner dealt with under Section 39-A escapes or attempts to escape from the hospital or asylum to which he has been sent or when going thereto returning there from, he shall be punished

with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(2) Such punishment shall be in addition to the punishment for which the prisoner was liable for the offence of which he was already convicted.

39-C. Provisions applicable to bonds referred to in Section 39-A.-The provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898), shall, so far as may be, apply to the bonds referred to in Section 39 -A."

Section 44.- For "the Vernacular", substitute "Hindi in Devnagari script."

Section 46.- Omit clause (12) and in the proviso omit "or to whipping'.

Section 47.- In sub-section (1), omit "clause (4)".

Section 52.- (a) Omit "the District Magistrate or of' and "or Presidency Magistrate".

(b) Omit both the provisos.

Section 53.- Omit.

Section 54.- Omit sub-section (2).

Section 61.- For "both in English and in the Vernacular, in some place to which all persons employed within a prison have access" substitute "both in English and in Hindi in Devnagari script, in some conspicuous place and to which all persons employed within a prison have access."

4. The Identification of Prisoners Act, 1920 (No. XXXIII of 1920)

Section 1.-In sub-section (2), after "Part B States" add "other than the Madhya Bharat and Sironj regions of the State of Madhya Pradesh."

Section 2.- In clause (a), for "finger impressions," substitute "finger impressions, palm impressions."

5. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (No. XXII of 1922)

Section 1.- (a) In sub-section (2), after "Part B States" add "other than the Madhya Bharat and Sironj regions of the State of Madhya Pradesh".

(b) For sub-section (3), substitute the following, namely:-

"(3) It shall be in force in all such areas in Madhya Pradesh in which in was in force immediately before the commencement of the Madhya Prades h Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), and shall come into force in other areas on such date as the State Government may, by notification, appoint."

6. Central Provinces and Berar Village Sanitation and Public Management Act, 1920 (No. II of 1920)

Throughout the Act, unless otherwise expressly provided, for "local area", or "local areas" substitute "area" or "areas", respectively.

Section 1.- For sub-sections "(2) and (3) substitute the following, namely:-

"(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh, but shall be in operation only in such areas in which it was in operation immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), and shall have operation in other areas as may be notified by the State Government in this behalf under Section 2."

After Section 1, insert the following, namely:-

1-A. Definition.-In this Act, 'Patel' means the Patel appointed under Section 222 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959),"

Section 2.- For sub-section (1), substitute the following, namely "(1) If the sanitary or other public requirements,-

(a) of a village, or

(b) of a group of two or more villages having inhabited sites adjacent to one another, containing not less than five hundred inhabited houses and not being wholly or partly within the limits of a Municipal Corporation, a Municipality or of a notified area constituted under a law for the time being in force for the organisation and administration of municipal corporations or municipalities, as the case may be, are such that, in the opinion of the Collector of the district in which the village or group of villages in situate, special arrangements are necessary to meet such requirements, the Collector, of his own motion or on application made to him in this behalf by a Patel and ten or more other inhabitants of the area, may, by notice in writing published in such manner as may be prescribed, declare that the area is in need of special arrangements for its management'

Section 3.- For "mukaddam or mukaddam-gumashta or a working patel'' substitute "Patel".

Section 9-A.- In clauses (b) and (c) of sub-section (2) for "district Council" substitute "Zila Panchayat."

Section 10.- (1) In clause (b) of sub-section (2),—

(a) for 'Janapada authority' substitute "Janapada Panchayat";

(b) in the first proviso, for "Central Provinces and Berar Panchayats Act, 1946 (I of 1947)" substitute "a law for the time being in force relating to the constitution and organisation of Panchayats";

(c) in the second proviso,-

(i) for 'Janapada authority" occurring twice, substitute "Janapada Panchayat";

(ii) for "the Central Provinces and Berar Local Government Act, 1948 (XXX of 1948) or the Central Provinces and Berar Panchayats Act, 1946 (I of 1947)" "substitute" "a law for the time being in force relating to the constitution and organisation of Panchayats".

(2) In clause (c) of sub-section (2), for "Janapada authority' substitute "Janapada Panchayat".

Section 11.- (a) In sub-section (1),-

(i) for "the district Council or local board under Section 9 of the Central Provinces Local Self-Government Act, 1883 (I of 1883)" substitute "Zila or Janapada Panchayat constituted under the law for the time being in force relating to the constitution and organisation of Panchayats".

(ii) for "district Council or local board" substitute "Zila Panchayat or Janapada Panchayat."

(b) In sub-section (2) for "district Council" and "Council" substitute "Zila Panchayat".

7. The Madhya Pradesh Local Bodies Services Commission Act, 1950 (XXXVII of 1950)

Section 1.- For sub-section (2), substitute-

"(2) It extends to and shall be in force in the whole of Madhya Pradesh".

Section 2.- For "the City of Jabalpur Corporation, a Janapada authority, a Municipal Committee" substitute "a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Zila Panchayat, a Janapada Panchayat".

Section 4.- For "Mahakoshal region" substitute "State".

Sections 7 and 8.- Omit,

8. The Madhya Pradesh Protection of Scheduled Tribes (Interest in Trees) Act, 1956 (No. 11 of 1956)

Throughout the Act including preamble, short title and long title, for "Scheduled Tribes" wherever occurring substitute "Aboriginal Tribes".

Section 1.- For sub-section (2), substitute-

"(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh."

Section 2.- (a) For clause (iii), substitute the following, namely:-

"(iii) 'Aboriginal Tribes' means the tribes declared by the State Government as Aboriginal Tribes under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959)".

(b) In clause (v), for "1954" substitute "1959".

Section 4.- In sub-section (1), for "prior to the commencement of this Act but after the 31st day of March 1951, may, if the contract is subsisting on the date of the commencement of this Act" substitute "prior to the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), but after the 2nd day of October, 1959, may, if the contract is subsisting on the date of the commencement of the said Act".

Section 5.- In sub-section (1), for "Sections 162 and 163 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1954 (II of 1954)" substitute "Sections 179 and 180 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959)."

Section 6.- For "1954" substitute "1959".

Section 7.- In sub-section (I), for "1954" substitute "1959".

PART B

[See sub-section (2) of Section 3]

9. The Madhya Bharat Municipal Refuse (Conversion into Manure) Act, Samvat 2007 (No. 57 of 1950)

Throughout the Act, for 'municipality' wherever occurs substitute "municipal corporation or municipality'.

Section 1.- For sub-sections (2), (3) and (4) substitute the following namely:-

"(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh."

(3) It shall apply to all such municipal corporations and municipalities in Madhya Pradesh to which it has been applied immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), and shall apply on the commencement of the said Act to the municipalities to which any enactment repealed by Section 6 of the said Act was applicable and may be applied to any other municipal corporations or municipalities, or such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates

may be appointed for different municipal corporations or municipalities.'

Section 2.- (a) For clause (1) substitute the following, namely:-

"(1) 'Municipality' means a municipality constituted under a municipal law;

(1-a) 'Municipal Corporation' means a Municipal Corporation constituted under a municipal law,

(1-b) 'Municipal law' means a law for the time being in force for the

organisation and administration of municipal corporations or municipalities or notified areas in the State, as the case may be;"

(b) Omit clause (3).

Section 3.- For "Municipal Act" substitute "Municipal law'.

10. The Madhya Bharat Control of Music and Noises Act, Samvat 2008 (No. 14 of 1951)

Section 1.- For sub-sections (2) and (3), substitute the following, namely :-

"(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh."

(3) It shall be in force in all such areas of Madhya Pradesh in which it was in force immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), and shall come into force in such other areas and on such dates as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas."

Section 2.- Omit clause (a).

Section 5.- Omit "(Suba)".

11. The Madhya Bharat Prisoners' Release on Probation Act, 1954 (No. 15 of 1954)

Section 1.- For sub-sections (2) and (3), substitute the following, namely:-

"(2) it extends to the whole of Madhya Pradesh."

(3) It shall be in force in all such areas of Madhya Pradesh in which it was in force immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), and shall come into force in such other areas and on such dates as the State Government may, by notification, appoint."

Section 7.- In sub-section (2), for sub-section (i)" substitute "sub-section (1)",

12. The Madhya Bharat Nursing Homes Registration Act, 1954 (No. 28 of 1954)

Section 1.- For sub-sections (2) and (3), substitute the following, namely:-

"(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh."

(3) It shall be in force in all such areas in which it was in for ce immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1261 (40 of 1961), and shall come into force in other areas and on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas."

Section 8.- (a) In sub-section (1) for 'not less than one calendar Month's notice" substitute "a notice of not less than thirty days" and for "within a calendar month after the receipt of the notice" substitute "within a period of thirty days from the date of the receipt of the notice".

(2) In sub-section (3) for "within a calendar month after" substitute "within a period of thirty days from".

(3) in sub-section (4) for "calendar month" substitute "period of thirty days".

Section 13.- For Section 13, substitute the following, namely:-

"13. Offences by Companies.-(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section.-

(a) 'company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) 'director' in relation to a firm is a partner in the firm."

13. The Madhya Bharat Control of Lepers Act, 1955 (No. 14 of 1955)

Throughout the Act, for 'leper home" substitute "leper asylum" and for home" substitute "leper asylum."

Section 1.- For sub-sections (2), (3) and (4), substitute the following, namely:-

"(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh."

(3) It shall be in force in all such areas of Madhya Pradesh in which it was in force immediately before the commencement of the Madhya Pradesh Second Extension of Laws Act, 1961 (40 of 1961), and shall come into force on the commencement of the said Act in the areas in which any corresponding law immediately before such commencement was in force and in any other areas it shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act."

Section 2.- In clause (3), for 'appointed" substitute "declared".

Section 3.- For "local areas" substitute "areas".

Section 6.- In sub-section (1), for "local area" substitute "area".

Section 8.- In second proviso to sub-section (1) for “such friend or relative, requiring him” substitute “such friend or relative or institution requiring him or it,”

THE SECOND SCHEDULE

[See Section 6]

The Madhya Bharat Interest Act, 1956 (No. 17 of 1956).

The Madhya Bharat Treasure Trove Act, Samvat 2006 (No. 44 of 1949).

The Rajasthan Adaptation of Central Laws Ordinance, 1950 (IV of 1950), in its application to the Sironj region so far as it relates to-

(1) The Interest Act, 1839 (XXXII of 1839).

(2) The Indian Treasure Trove Act, 1878 (VI of 1878).

(3) The Prisons Act, 1894 (IX of 1894).

(4) The Lepers Act, 1898 (III of 1898).

The Merged States (Laws) Act, 1949 (No. 59 of 1949), in its application to the Vindhya Pradesh and Bhopal regions so far as it relates to-

(1) The Interest Act, 1839 (XXXII of 1839).

(2) The Indian Treasure Trove Act, 1878 (VI of 1878).

(3) The Prisons Act, 1894 (IX of 1894).

(4) The Lepers Act, 1898 (III of 1898).

(5) The Identification of Prisoners Act, 1920 (XXXIII of 1920).

(6) The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (XXII of 1922).

The Madhya Bharat Indian Prisons (Adoption) Act, Samvat 2006 (23 of 1950). The Madhya Bharat Identification of Prisoners Act, Samvat 2008 (15 of 1951). The Rajasthan Identification of Prisoners Act, 1956 (12 of 1956).

The Lepers Act, 1898 (No. III of 1898), in its application to Mahakoshal region. The Rajasthan refuse (Conversion into Manure) Act, 1951 (VI of 1951), in its application to Sironj region.

मध्य प्रदेश द्वितीय विधि विस्तार अधिनियम, 1961

[1961 का अधि० सŸ० 40]

विषय-सूची

ि◌ारायें 1)सŸक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

2)पररभाषाएõ

3)कततपय अधितनयमों का विस्तार तथा सŸशõि◌न

4)उन विधियों कò प्रतत तनर्देशों का अथथ लगाना जõ ककसी भी ि◌òत्र में प्रित्त न हों

5)प्राधिकाररयों कò सम्बन्ि◌ में तनर्देशों का अथथ लगाना

6)तनरसन

7)कठिनाइयाõ र्दूर करनò की शक्तत

- प्रथम अनुसूची ।
- द्वितीय अनुसूची ।

मध्य प्रदेश द्वितीय विधि विस्तार अधिनियम, 1961 [1961 का अधि० सŸ० 40]

राष्ट्रपतत की अनुमतत 8 ठर्दसम्बर, 1961 कõ प्राप्त हुई, अनुमतत मध्य प्रर्दòश राजपत्र में ठर्दनाŸक 22 ठर्दसम्बर, 1961 कõ प्रथम बार प्रकाशशत की गई ।

मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रित्त कनतपय विधियों को उसके अन्य क्षेत्रों पर विस्तारत करि के लिये उपबŸि◌ करि हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य कò बारहिं ि◌षथ में मध्य प्रर्दòश वि◌ि◌ान मण्डल द्◌ारा तनम्नशलखित Óप में अधितनयशमत ककया जायò--

1. सŸक्षक्षप्त ि◌ाम तथा प्रारम्भ - (1) यह अधितनयम मध्य प्रर्दश द्वितीय विधि विस्तार अधितनयम 1961 कहलायेगा ।

(2) यह ऐसे ठर्दनाŸक कॅ प्रित्त हॅगा क्जसे राज्य सरकार अधिसूचना द्◌ारा, तनयत करे ।

2. पररभाषाएॅ -इस अधितनयम में जब तक प्रसŸग से अन्यथा अपेक्षित न हॅ-

(क) "तनयत ठर्दन' ' से तात्पयथ उस ठर्दनाŸक से हॅ जॅ इस अधितनयम के प्रित्त हॅने के शलए ि◌ारा 1 की उपिारा (2) के अिीन तनयत ककया जाए;

(ि) उन शब्र्दों तथा अशभव्यक्ततयों के , जॅ इस अधितनयम में प्रयुतत हुई हॅ ककन्तु पररभावषत नह Ÿ की गई हॅ और जॅ मध्य प्रर्दश एतसटेन्शन ऑफ लॉज ऐतट, 1958 (मध्य प्रर्दश विधि विस्तार अधितनयम, 1958) (क्रमाŸक 23 सन् 1958) में पररभावषत हॅ, ि◌ह अथथ होंगे जॅ कक उनकॅ उस अधितनयम में क्रमश: ठर्दए गए हैं ।

3. कनतपय अधिनियमों का विस्तार तथा सŸशोि◌ि- (1) प्रथम अनुसूची के भाग-क में उक्ललखित अधितनयम, जॅसे कक ि◌े तनयत ठर्दन के ि◌ीक पूि◌थ महाकॅशल ि◌ेत्र में प्रित्त हों, एतद्- द्◌ारा राज्य के अन्य समस्त ि◌ेत्रों पर विस्ताररत ककये जाते हैं ।

(2) प्रथम अनुसूची के भाग क में उक्ललखित अधितनयम जॅसे कक ि◌े तनयत ठर्दन के ि◌ीक पूि◌थ मध्य भारत ि◌ेत्र में प्रित्त हों, एतर्दद्◌ारा राज्य के अन्य समस्त ि◌ेत्रॅ पर विस्ताररत ककये जाते हैं । (3) उपिारा (1) तथा (2) द्◌ारा विस्ताररत अधितनयम सम्पूणथ मध्य प्रर्दश में उनकी प्रयुक्तत के सम्बन्ि में, प्रथम अनुसूची में उक्ललखित र तत में तथा सीमा तक सŸशॅधित ककये जायेंगे ।(4) उपिारा (1) तथा (2) द्◌ारा विस्ताररत अधितनयम जब तक कक उनमें अन्यथा स्पष्टत: उपबन्ि◌ित न हॅ, यथाक्स्थतत ककसी भी ि◌ेत्र में या समस्त ि◌ेत्रों में तनयत ठर्दन से प्रित्त होंगे । (5) उपिारा (3) के उपबन्ि◌ो◌ं पर कॅई भी प्रततकूल प्रभाि◌ डाले बबना उपिारा (1) या उपिारा (2) द्◌ारा विस्ताररत ककन्ह Ÿ भी अधितनयमों के लम्बे नाम, प्रस्ताि◌ना या सŸक्षिप्त नाम में जहाŸ कह Ÿ अशभव्यक्तत "से◌त्रल प्रॅविŸसेज एण्ड बरार" या "मध्य भारत" में से कॅई भी अशभव्यक्तत आई हॅ ि◌हाŸ उसके स्थान पर अशभव्यक्तत "मध्य प्रर्दश" स्थावपत की जाए ।

4. **उि विधियों के प्रनत निदेशों का अथथ ि◌ागाि◌ा जो ककसी भी क्षेत्र में प्रित्त ि◌ हों**- प्रथम अनुसूची में उक्ललखित ककसी अधितनयम में ककसी ऐसी विधि के , जॅ कक राज्य के ककसी भी ि◌ेत्र में प्रित्त न हॅ, प्रतत ककसी तनर्देश का अथथ उस ि◌ेत्र के सम्बन्ि में इस प्रकार ककया जाएगा मानॅ कक ि◌ह तनर्देश उस ि◌ेत्र में प्रित्त तत्स्थानीय विधि, यठर्द कॅई हॅ, के प्रतत तनर्देश हॅ ।

5. **प्राधिकाररयों के सम्बन्ि में निदेशों का अथथ ि◌ागाि◌ा**- (1) प्रथम अनुसूची में उक्ललखित ककसी अधितनयम में ककसी ऐसे प्राधिकार के जॅ कक राज्य के ककसी अन्य ि◌ेत्र में विद्यमान न हॅ, प्रतत कॅई तनर्देश उस ि◌ेत्र के सम्बन्ि में ऐसे प्राधिकार के प्रतत तनर्देश हॅगा क्जसे राज्य शासन अधिसूचना द्◌ारा तस्थानी प्राधिकार उक्ललखित करे ।

(2) राज्य के ककसी भी ि◌ेत्र में तत्समय प्रित्त ककसी विधि में ककसी ऐसे प्राधिकार के , जॅ उस विधि के पाररत हॅने के ठर्दनाŸक कॅ उस ि◌ेत्र में ककन्ह Ÿ शक्ततयों का प्रयॅग करने या ककन्ह Ÿ कृत्यों का तनिथहन करने में सिम रहा हॅ, प्रतत ककसी तनर्देश का, चाहे ि◌ह ककसी भी प्रकार के शब्र्दों में हॅ, उस र्दशा में जब तक कक उस ि◌ेत्र पर अब विस्ताररत ककये गये ककसी अधितनयम के द्◌ारा या अिीन तत्स्थानी निीन प्राधिकार गठित ककया गया हॅ, प्रभाि◌ इस प्रकार हॅगा मानॅ कक ि◌ह उस निीन प्राधिकार के प्रतत तनर्देश हॅ ।

6. निरसि-तनयत ठर्दन कॅ तथा से द्वितीय अनुसूची में उक्ललखित अधितनयशमततयाŸ तनरस्त हॅ जायेंगी ।

7. **कठिि◌ाइयाॅ र्दूर करि की शक्तत-** (1) यठर्द इस अधितनयम में अन्तविथष्ट ककसी बात के पररणामस्ि◌ॅप प्रथम अनुसूची में उक्ललखित ककसी अधितनयम के उपबन्ि◌ो◌ं कॅ प्रभाि◌ी बनाने में कॅई कठिनाई उत्पन्न हॅ तॅ राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूधचत आर्दश द्◌ारा, ऐसे उपबन्ि◌ कर सके गा या ऐसे तनर्देश र्दे सके गा जॅसे कक उस कठिनाई कॅ र्दूर करने के शलए आिश्यक प्रतीत हों ।

(2) विशेषत: और पूि◌थगामी शक्तत की व्यापकता पर प्रततकूल प्रभाि◌ डाले बबना ऐसे ककसी अधिसूधचत आर्दश में-

(क) ि◌ारा 5 के तात्पयथ के अन्तगथत तत्स्थानी प्राधिकाररयों का उललेि◌ ककया जा सके गा;

(ि) तनयत ठर्दन कं ि◌ीक पूि◌थ ककसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार कं समि विचाराि◌ीन ककसी मामलं कं , ककसी तत्स्थानी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार कॅ तनपटारं कं शलए, हस्ताŸतररत ककए जानं हंतु उपबन्ि ककया जा सकं गा;

(ग) उन ि◌ंत्रों या पररक्स्थततयों का उललंि ककया जा सकं गा क्जनमें, अथिा उस सीमा का उललंि ककया जा सकं गा क्जनकं अिीन रहतं हुए, उस ि◌ारा द्ि◌ारा तनरशसत ककसी अधितनयशमतत कं अिीन ककया गया कॅई कायथ या की गई कॅई कायथिाह अब विस्तारित ककयं गयं अधितनयम कं तत्स्थानी उपबन्ि◌ोंं कं अिीन प्रस्ि◌ीकृत या प्रभाि◌ाक्न्ित की जाएगी

प्रथम अिुसूची

भाग--क (ि◌ारा

3 (1) देखिये) 1. दी इन्टरेस्ट ऐतट, 1839 (क्रमाŸक 32, सि् 1839)

2. दी इŸडियि ट्रेजर ट्रोि ऐतट, 1878 (क्रमाŸक 6, सि् 1878)

ि◌ारा 1. „Part B Status˜ कं पश्चात् „other than the Madhya Bharat & Sironj of the State of Madhya Pradesh˜ जॅड़ा जाए ।

ि◌ारा 4. „Exceeding in amount or value ten rupees˜ तनकाल ठर्दया जाए ।

3. दी वप्रजन्स ऐतट, 1894 (क्रमाŸक 9 सि् 1894)

प्रस्ताि◌ि◌ा-„Part B Status कं पश्चात् „other than the Madhya Bharat & Sironj regions of the State of Madhya Pradesh˜ अन्त स्थावपत ककया जाए ।

ि◌ारा 1.(क) उपिारा (2) में, „Part B Status˜ कं पश्चात् „other than the Madhya Bharat and Sironj regions of the state of Madhya Pradesh˜ अन्त: स्थावपत ककया जाए ।

(ि) उपिारा (4) तनकाल र्द जाए ।

ि◌ारा 6. परन्तुक में, „The State Government of Bobbay˜„State Government of Madhya Pradesh˜ स्थावपत ककया जाए ।

ि◌ारा 39. कं पश्चात्, तनम्नशलखित अन्तःस्थावपत की जाए, अथाथत्-

“39 ए. विशेष उपचार के लिए बन्दी को धचककत्साि◌िय या शरणाि◌िय भेजि की अिीक्षक की शक्तत-, 1) अिीि◌क, यठर्द उनकी राय में ककसी बन्र्द कॅ बन्र्द गृह कं बाहर ककसी धचककत्सालय में या इक्ण्डयन न्यूसेंसी ऐतट, 1912 में यथा पररभावषत ककसी शरणालय मैं विशंष उपचार की आिश्यकता हॅ, उसं ऐसं धचककत्सालय या शरणालय कॅ इस बात कं पालन कं अिीन भंज सकं गा या शभजिा सकं गा कक बŸर्द या बŸर्द का कॅई भी सम्बन्ि◌ी या शमल ऐसा बŸि◌नामा तनष्ट्पाठर्दत कर र्दं और ऐसी अन्य शतो का, यठर्द कॅई हों, पालन करं, क्जन्हें कक राज्य शासन विठहत करं ।

(2) बŸर्द द्ि◌ारा धचककत्सालय या शरणालय में ऐसी धचककत्सा कं शलए या ि◌हाŸ कॅ जानं या ि◌हाŸ सं लॅटनं में व्यतीत की गई कालाि◌िधि बन्र्द गृह में उसकं तनरॅि◌ि की कालाि◌िधि का भाग समझी जाएगी ।

व्याख्या 1-इस ि◌ारा में अन्तविथष्ट कॅई भी बात र्द वप्रजनसथ ऐतट, 1900 की ि◌ारा 30 कं प्रितथन कॅ, उन मामलों में क्जनसं उतत ि◌ारा लागू हॅती हॅ, प्रभावित करती हुई नह Ÿ समझी जाएगी **व्याख्या 2**- इस ि◌ारा में "बन्र्द " सं तात्पयथ शसद्धर्दॅष आपराधिक बन्र्द सं हॅ ।

39 बी. धचककत्साि◌िय या शरणाि◌िय से निकि भागि की चेष्टा करि के लिए दण्ि◌ि-- (1) यठर्द कॅई बन्र्द , क्जसकं सम्बन्ि में घारा 3 ए कं अिीन कायथिाह की गई हॅ, उस धचककत्सालय या शरणालय सं, क्जसकॅ ि◌ह भंजा गया हॅ, या ि◌हाँ कॅ जातं समय या ि◌हाँ सं लॅटतं समय तनकल भागनं या तनकल भागनं की चंष्ट्टा करं, तॅ ि◌ह काराि◌ास सं, क्जसकी अबधि र्दॅ ि◌षथ तक की हॅ सकती हॅ या अथथ र्दण्ड सं या र्दॅनों लं र्दक्ण्डत हॅगा ।

(2) ऐसा र्दण्ड उस र्दण्ड कं अततररतत हॅगा, क्जसकं शलए बन्र्द उस अपराि कं सम्बन्ि में, क्जसका कक ि◌ह पहलं ह शसद्धर्दॅष ि◌हराया जा चुका हॅ, भागी था ।

39 सी.-ि◌ारा 3 ए में निठदथष्ट बŸि◌ि◌ामों से ि◌ागू होिे ि◌ाि◌े उपबŸि◌- कॅड ऑफ कक्रशमनल प्रॅसीजर, 1898 (र्दण्ड प्रकक्रया सŸठहता, 1898) (क्रमाŸक 5 सन् 1898) कं बयाल सिं अध्याय कं उपबन्ि, यथासŸभि ि◌ारा ए में तनठर्दथष्ट बन्ि◌नामों सं लागू होंगं । "

िारा 44 – The Vernacular कὁ स्थान पर „Hindi in Devnagari Script „ स्थापित ककया जाए ।

िारा 52 -(क) '˛The District Magistrate˛ तथा „or Presidency Magistrate˛ तनकाल ठर्दए जायὁ ।

(ि) र्दὊनों परन्तुक तनकाल ठर्दयὁ जायὁ ।

िारा 54- उपिारा (2) तनकाल र्द जाए ।

िारा 61- ‘’·‹x– ˘” ’”+¿ ˘s– :”¿ ˘” x–₁ V₁l”:›ʕ¿:l ˘” s‹˜₁ ×¿:›₁ x‹ ⊦–˘›– :¿¿ ×₁ls‹” ₁˜×¿⊣₁‹ ⊦˘x–˘” : ×l˘s‹” –:]₁ :›››₁ss˛ कὁ स् थान पर „·‹x– ˘” ’”+¿ ˘s– :”¿ ˘” ›˘”¿ ˘ ˘” y₁]”:₁l˘ s›l˘×x› ˘” s:˜₁ ›‹”s×˘›ʕ¿ʕs ×¿:›₁ :”¿ x‹ ⊦–˘›– :¿¿ ×₁ls‹” ₁˜×¿⊣₁‹ ⊦˘x–˘” : ×l˘s‹” –:]₁ :›››₁ss˛ स्थापित ककया जाए ।

4. दी आइिन्टीकिकेशि आॅ वप्रजिसथ ऐतट, 1920 (क्रमाŸक 33 सि् 1920)

िारा 1 उपिारा (2) में ∧:lx ʁ ˘x:x₁s कὁ पश् चात् „·x–₁l x–:” x–₁ ʕ:¿–⊣: ʁ–:l:x :”¿ ˘˘l‹”· l₁₁˘‹”s ‹˛ x–₁ ˘x:x₁ ‹˛ ʕ:¿–⊣: ∧l:¿₁s–˛- जὊड़ा जाए ।

िारा 2. िण्ड (ए) में „”˜”₁₁l ˜˜×l₁ss˘‹”s˛ कὁ स्थान पर „”˜”₁₁l ˜˜×l₁ss˘‹”s, ∧¿:˜ ˜˜×l₁ss˘‹”s˛ स्थापित ककया जायὁ ।

5 दी पुलिस (इन्साइटमेन्ट डिसअिेतशि) ऐतट, 1922 (क्रमाŸक 22 सि् 1922)

िारा 1 (क) उपिारा (2) में, „∧:lx ʁ ˘x:x₁s˛ 'कὁ पश्चात् „·x–₁l x–:” x–₁ ʕ:¿–⊣: ʁ–:l:x :”¿ ˘˘l‹ʕ· l₁₁˘‹”s ‹˛ x–₁ ˘x:x₁ ‹˛ ʕ:¿–⊣: ∧l:¿₁s–˛ जὊड़ा जाए ।

(ि)उपिारा (3) कὁ स्थान पर, तनम्नशलखित उपिारा स्थापित की जाए, अथाथत्- „(3) यह मध्य प्रर्दὁश कὁ समस्त ऐसὁ िὁत्रों में प्रिृत्त हὊगा, क्जनमें कक िह मध्य प्रर्दὁश सὁककन् ड एतसटὁन्शन ऑफ लॉज ऐतट, 1961 (मध्य प्रर्दὁश द्वितीय विधि-विस्तार अधितनयम, 1961) कὁ प्रारम्भ हὊनὁ कὁ ि्ीक पूि्थ प्रिृत्त था और अन्य िὁत्रों में ऐसὁ ठर्दनाŸक कऊ प्रिृत्त हὊगा, क्जसὁ राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा तनयत करὁ ।

6 सेन्ट्रि प्राविन्सेज एण्ि बरार वि्ेज सेि्ीटेशि एण्ि पक्लिक मेि्ेजमेन्ट ऐतट, 1920 (क्रमाŸक 2, सि् 1920)

सम्पूणथ अधितनयम में, जब तक कक अन्यथा स्पष्टत: उपबक्न्ित न हऊ, „²›:¿ :l₁:˛ या „²›:¿ :l₁:s˛ कὁ स्थान पर क्रमश. „:l₁:˛ या „:l₁:s˛ स्थापित ककया जाए । िारा 1 उपिारार (2) नआ (3) कὁ स्थान पर तनम्नशलखित स्थापित की जाए, अथाथत

„(2) इसका विस्तार िὁत्र सम्पूणथ मध्य प्रर्दὁश हऊगा, ककन्तु कὁ िल ऐसὁ िὁत्रों में प्रिततथत हऊगा, क्जनमें कक िह मध्य प्रर्दὁश सὁककण्ड एतसटὁन्शन ऑफ लॉज ऐतट, 1961 (मध्य प्रर्दὁश द्वितीय विधि विस्तार अधितनयम, 1961) कὁ प्रारम्भ हऊनὁ कὁ ि्ीक पूि्थ प्रिततथत था और अन्य िὁत्रों में इस प्रकार प्रिततथत हऊगा जऊसा कक राज्य शासन द्ारा िारा (2) कὁ अिीन इस सम्बन्ि में अधिसूधचत ककया जायὁ । "

,िारा 1. कὁ पश्चात् तनम्नशलखित अन्त-स्थापित ककया जाए, अथाथत्-

" 1-ए. पररभाषा.-- इस अधितनयम में "पटὁल" सὁ तात्पयथ मध्य प्रर्दὁश भू-राजस्ि सŸठहता, क्रमाŸक 20 सन् 1959 की िारा 222 कὁ अिीन तनयुतत पटὁल सὁ हऊ । "

िारा 2. उपिारा (1) कὁ स्थान पर तनम् नशलखित स्थापित की जाए, अथाथत्-

„(1) यठर्द-

(क) ऐसὁ ककसी गाŸि की, या

(ि) ऐसὁ र्दऊ या अधिक गाि्ोὁ कὁ समूह की, क्जनकὁ बसὁ हुयὁ स्थान एक र्दूसरὁ सὁ लगὁ हुए हों, क्जसमें पाὁच सऊ सὁ कम बसὁ हुयὁ गृह न हों और जऊ यथाक्स्थतत नगरपाशलका तनगम या नगरपाशलकाओŸ कὁ सŸगिन तथा प्रशासन कὁ शलयὁ तत्समय प्रिृत्त विधि कὁ अिीन गठित नगरपाशलका तनगम, नगरपाशलका या अधिसूधचत िὁत्र की सीमाओŸ कὁ भीतर पूणथत: या अशŸत: न हों, स्िच्छता सम्बन्ि्ी या अन्य साि्थजतनक आिश्यकतायें ऐसी हऊ कक उस क्जलὁ कὁ क्जसमें कक िह गाऊि या गाि्ोὁ का समूह क्स्थत हऊ, कलὁतटर की राय में ऐसी आिश्यकताओŸ की पूती कὁ शलए विशὁष व्यिस्थाएऊ आिश्यक हैं, तऊ कलὁतटर स्ियŸ की प्रὁरणा सὁ या पटὁल या िὁत्र कὁ र्दस या र्दस सὁ अधिक तनिाशसयों द्ि्ारा इस सम्बन्ि में उसकऊ ठर्दयὁ गए आिὁर्दन-पत्र पर शलखित सूचना द्ि्ारा जऊ ऐसी र तत में प्रकाशशत की जाएगी, जऊसी कक विठहत की जाए, यह घऊिषत कर सकὁ गा कक िὁत्र कऊ उसकὁ प्रबŸि कὁ शलयὁ विशὁष व्यिस्थाओŸ की आिश्यकता हऊ ।"

िारा 3. „ßß°:‹‹:˜ ›l ˜˜°:‹‹:˜–₁ß˜:s–x: ›l : ⊦l›l°˘”₁ ×:x₁¿˛ कὁ स्थान पर „∧:x₁¿˛ स्थापित ककया जाए ।

िारा 9’ए’ उपिारा (2) कὁ ि्ण्ड (बी) तथा (सी) में „y˘sxl˘,x w‹ß˜s˘¿˛ कὁ स्थान पर „Z˘¿: ∧:”,–:⊣x˛ स्थापित ककया जाए ।

िाारा 10 (1) उपिारा (2) कं िण्ड (बी) में-

(क) „’:"×:‹: :ऽx_ू१ˇx┘ू कं स्थान पर „’:"×:‹: ∧:",–:┤:x~ स्थापवत ककया जायं ।

(ि) प्रथम परन्तुक में „w▲"xl:¿ ∧l┥˘"▲ss :"‹ ʁ▲l·l ∧:",–:┤:xs ɬ,x, 1946~ (क्रमाŸक 1 सन् 1947) कं स्थान पर „: ¿ :1 ▾ू१ x–▲ x˘˘▲ ·▲˘"▲ ˘" ▾ू१,▲ l▲¿ :x˘"▲ x–▲ ,ू"sx˘xfix˘ू" :"‹ ू१▲:"˘s:x˘ू" ू▾ ×:",–:┤:xs~ स्थापवत ककया जाए;

(ग) द्वितीय परन्तुक में-

(एक) र्दŌ बार आनं िालं ‘’’:"×:‹: :ऽx_ू१ˇx┘’’ कं स्थान पर ‘’’:"×:‹: :ऽx_ू१ˇx┘’’ स्थापवत ककया जाए ‘’x–▲ ,▲"xl:¿ ×l┥˘",▲s :"‹ ·▲l·l ¿ू,:¿ ▲┥▲l"˜▲"x ɬ,x 1948 (क्रमाŸक 38 सन् 1948) ू१ x–▲ w▲"xl:¿ ∧l┥˘",▲s :"‹ ʁ▲l·l ∧:",–:┤:xs ɬ,x 1946 (क्रमाŸक 1 सन् 1947)' कं स्थान पर „: ¿ :1 ▾ू१ x–▲ x˘˘▲ ·▲˘"▲ ˘" ▾ू१,▲ l▲¿ :x˘"▲ xू x–▲ wू"sx˘xfix˘ू" :"‹ >l▲:"˜s:x˘ू" ू▾ ∧:",–:┤:xs~ स्थापवत ककया जायं ।

(2) उपिारा (2) कं िण्ड (सी) में „’:"×:‹: :ऽx_ू१ˇx┘ू कं स् थान पर „’:"×:‹: :ऽx_ू१ˇx┘ू स्थापवत ककया जाए ।

िाारा 11. (क) उपिारा (1) में-

(एक) शब्र्द „x–▲ ‹˘sxl˘,x wू९",˘¿ ू१ ¿ू,:¿ ·:·l‹ ९"‹,l ˘▲,x˘ू" 9 ू▾ x–▲ w▲"xl:¿ ∧l┥˘",▲s ?ू,:¿ ˘▲¿▾ ‘┥▲l"˜▲"x ɬ,x, 1883 (‹ ू▾ 1883)" कं स्थान पर „Z˘¿: ू१ ’:"×:‹ ∧:",–:┤:x ,ू"sx˘xfix▲‹ ९"‹,l x–▲ ¿:1 ▾ू१ x˘˘▲ ·▲˘"▲ ˘" ▾ू१,▲ l▲¿ :x˘"▲ xू x–▲ ,ू"sx˘xfix˘ू" :"‹ ू१▲:"˘s:x˘ू" ू▾ ∧:",–:┤:xs~ स्थापवत ककया जाए;

(र्दŌ) „‹˘sxl˘,x wू९",˘¿ ू१ ¿ू,:¿ ·:·l‹~ कं स्थान पर „Z˘¿: ∧:",–:┤:x ू१ ’:"×:‹ ∧:",–:┤:x~ स्थापवत ककया जायं ।

(ि) उपिारा (2) में „‹˘sxl˘,x ,ू९",˘¿~ तथा „~wू९",˘¿ कं स्थान पर „Z˘¿: ∧:",–:┤:x~ स्थापवत ककया जाए ।

7. ठद मध्य प्रदेश िोकि बोिीज सवियसेज कमीशि ऐतट, 1950 (क्रमाŸक 37 सि् 1950) ।

िाारा 1. उपिारा (2) कं स्थान पर तनम्नशलखित स्थापवत की जायं-

„(2) इसका विस्तार िंत्र सŸपूणथ मध्य प्रर्दंश हŌगा तथा यह उसमें प्रित्त हŌगा । "

िाारा 2 „x–▲ ,˘x┘ ू१ ·:·:¿ ×९l wू९l×ू१·x˘ू", : ·:":×:‹:¿ ·ऽx_ू१ˇx┘, : ~९"~,˘×:¿ ,ू~~xx▲▲~ कं स्थान पर „: ~९"~,˘×:¿ ,ू९",˘¿, : ~९"~,˘×:¿ ,ू९",˘¿, : ┘˘¿ : ×:",–:┤:x; : ·:":×:‹: ×:",–:┤:x~ स्थापवत ककया जायं ।

िाारा 4. „९:–:°s–:¿ l▲▲˘ू"~ कं स्थान पर „˘x:x▲~ स्थापवत ककया जायं ।

7. तथा 8 तनकाल र्द जायें ।

8. ठद मध्य प्रदेश प्रोटेतशि आŌि लशड यूल्ि ट्राइलस (इन्टरेस्ट इट्रीज) ऐतट, 1956 (क्रमाŸक 11 सि् 1956)

प्रस्ताविना, सŸक्षिप्त नाम तथा लम्बं नाम कŌ सक्म्मशलत करतं हुयं सŸपूणथ अधितनयम में जहाŌ कह Ÿ „˘,ू–▲‹९▲‹ 'l˘·▲s~ आया हŌ िहाŌ उसकं स्थान पर „▲·ू१ˇ▾"¿ 'l˘·▲s~ स्थापवत ककया जाए ।

िाारा 1. उपिारा (2) कं स्थान पर तनम्नशलखित स्थापवत की जाए-

"(2) इसका विस्तार िंत्र सŸपूणथ मध्य प्रर्दंश हŌगा ।

िाारा 2. (क) िण्ड (तीन) कं स्थान पर तनम्नशलखित स्थापवत ककया जाए अथाथत्-

„(3) आठर्दम जनजाततयों प्रततयों सं तात्पयथ ऐसी जनजाततयों सं हŌ जŌ राज्य शासन द्िारा मध्य प्रर्दंश भू-राजस्ि सŸठहता, 1959 (क्रमाŸक) 20 सन् 1959) की िाारा 165 की उपिारा (6) कं अीन आठर्दम जनजाततयाŌ घŌवषत की गई हों ।

"(ि) िण्ड (पाŌच) में '1954' कं स्थान पर ‘1959' स्थापवत ककया जाय ।

िाारा 4 उपिारा (1) „∧l˘ू१ x˘ x–▲ ,ू˘˘▲",▲~▲"x ू▾ x–˘s ɬ,x ·ɤx :▾x▲l x–▲ 31sx ‹:┤ ू▾ ९:l›–, 1951, ~:┤ ˘▾ x–▲ ,ू"xl:,x ˘s sŕ·s˘sx˘"▲ ू" x–▲ ‹:x▲ ू▾ x–▲ ,ू˘˘▲",▲~▲"x ू▾ x–˘s ɬ,x कं स्थान पर „∧l˘ू१ x˘ x–▲ ,ू˘˘▲",▲~▲"x ू▾ x–▲ ९:–┤: ∧l:‹,▲s– ˘▲,ू"‹ ′┤x▲"s˘ू" ू▾ ?:┤s ɬ,x 1961, ·ɤx :▾x▲l x–▲ 2"‹ ‹:┤ ू▾ ›,x˘·▲l, 1959, ~:┤ ˘▾ x–▲ ,ू"xl:,x ˘s sŕ·s˘sx˘"s ू" x–▲ ‹:x▲ ू▾ x–▲ ,ू˘˘▲",▲~▲"x ू▾ x–▲ s:˘‹ ɬ,x~ स्थापवत ककया जाए ।

िाारा 5 उपिारा (1) में „˘▲,x˘ू"s 162 :"‹ 163 ू▾ x–▲ ९:‹–┤: ∧l:‹,▲s– ?:"‹ ^▲]▲"९▲ wू‹,▲, 1954~ (क्रमाŸक 2 सन् 1954) कं स्थान पर ˘▲,x˘ू"s 179 :"‹ 180 ू▾ x–▲ ९:‹–┤: ∧l:‹,▲s– ?:"‹ ^▲]▲"९▲, wू‹,▲, 1959 (क्रमाŸक 20 सन् 1959)' स्थापवत ककया जायं ।

िाारा 6. „1954~ कं स्थान पर '1959' स्थापवत ककया जायं ।

िाारा 7. उपिारा (1) में '1954' कं स्थान पर '1959' स्थापवत ककया जायं ।

भाग - ि

(ि◌ारा 3 (2) देखिये)

9. मध्य भारत ि◌गरपालिका मि (ि◌ाद में रूपान्तर) वि◌ि◌ाि◌, सŸ◌ित 2007 क्रमाŸक 57 सि 1950) सŸपूणथ वि◌ि◌ान में, जहाŏ कह Ÿ 'नगरपाशलका' आया हŐ ि◌हाŏ उसकŏ स्थान पर 'नगरपाशलका तनगम या नगरपाशलका 'स्थावपत ककया जायŏ ।

`ि◌ारा 1 उपिारा (2) (3) तथा (4) कŏ स्थान पर तनम्नशलखित स्थावपत की जायŏ, अथाथत्- " (2) इसका विस्तार-ि◌ŏत्र सम्पूणथ मध्य प्रर्दŏश हŐगा ।

(3) यह मध्य प्रर्दŏश में ऐसŏ समस्त नगरपाशलक तनगमों तथ नगरपाशलकाओŸ सŏ लागू हŐगा क्जनसŏ कक ि◌ह मध्य प्रर्दŏश सŐककन्ड एतसटŏन्शन ऑफ लॉज ऐतट 1961 (मध्य प्रर्दŏश द्वितीय विधि-विस्तार अधितनयम 1961) कŏ प्रारम्भ हŐनŏ कŏ ि◌ीक पूि◌थ लागू ककया जा चुका हŐ और उतत अधितनयम कŏ प्रारम्भ हŐनŏ पर ऐसी नगरपाशलकाओŸ सŏ लागू हŐगा क्जनसŏ उतत अधितनयम की ि◌ारा 6 द्ि◌ारा तनरशसत कŐई अधितनयशमतत लागू थी और ककन्ह Ÿ अन्य नगरपाशलक तनगमों नगरपाशलकाओŸ सŏ ऐसŏ ठर्दनाŸक कŐ लागू ककया जा सकŏ गा क्जसŏ राज्य शासन, अधिसूचना द्ि◌ारा तनयत करŏ और शभन्न-शभन्न नगरपाशलका तनगमों या नगरपाशलकाओŸ कŏ शलए शभन्न-शभन्न ठर्दनाŸक तनयत ककए जा सकŏ गें । "

ि◌ारा 2. क चरण (1) कŏ स्थान पर तनम्नशलखित स्थावपत ककया जायŏ अथाथत्-

"(1) 'नगरपाशलका' सŏ तात्पयथ ककसी नगरपाशलक विधि कŏ अिीन रधचत नगरपाशलका सŏ हŐ;

(1-अ) नगरपाशलक तनगम' सŐ तात्पयथ नगरपाशलक विधि कें अिीन गठित नगरपाशलक तनगम (1-

सŏ आ) नगरपाशलक विधि सŏ तात्पयथ राज्य में नगरपाशलक तनगमों या नगरपाशलकाओŸ या हŐ;

अधिसूधचत ि◌ŏत्रों कŏ , जŐसी भी र्दशा हŐ, सŸगिन तथा प्रशासन कŏ शलए तत्काल न प्रभाि◌शील विधि सŏ हŐ ।"

(ि◌) चरण (3) तनकाल ठर्दया जायŏ । "

ि◌ारा 3. 'नगरपाशलका विि◌ान' कŏ स्थान पर 'नगरपाशलक विधि' स्थावपत ककया जायŏ ।

10. मध्य भारत ध्ि◌नि तथा कोि◌ाहि नियन्त्रण वि◌ि◌ाि◌, सŸ◌ित क्रमाŸक 1 सि् 1951)

ि◌ारा 1. उपिारा (2) तथा (3) कŏ स्थान पर तनन्नशलखित स्थावपत की जाएŸ, अथाथत्- „(2) इसका विस्तार ि◌ŏस सŸपूणथ मध्य प्रर्दŏश हŐगा ।

(3) यह मध्य प्रर्दŏश कŏ समस्त ि◌ŏत्रŐ में प्रभाि◌शील हŐगा क्जनमें कक ि◌ह मध्य प्रर्दŏश, सŏककन्ड एतसटŏन्शन ऑफ लॉज ऐतट, 1961 मध्य प्रर्दŏश द्वितीय विधि-विस्तार अधितनयम 1961) कŏ प्रारम्भ हŐनŏ कŏ ि◌ीक पूि◌थ प्रभाि◌शील था और ऐसŏ अन्य ि◌ŏत्रों मैं तथा ऐसŏ ठर्दनाŸकों कŐ प्रभाि◌शील हŐगा । क्जन्हें राज्य शासन अधिसूररचना द्ि◌ारा तनयत करŏ और शभन्न-शभन्न ि◌ŏत्रों कŏ शलए शभन्न-शभन्न ठर्दनाŸक तनयत ककए जा सकेंगŏ ।

ि◌ारा 2. चरण (अ) तनकाल ठर्दया जायŏ ।

ि◌ारा 5 '(सूबा)' तनकाल ठर्दया जायŏ ।

11 मध्य भारत बन्दी प्रनतबन्ि◌ात्मक मुक्तत वि◌ि◌ाि◌, 1954 (क्रमाŸक 15 सि् 1954) ि◌ारा 1. उपिारा (2) तथा (3) कŏ स्थान पर तनम्नशलखित स्थावपत की जायŏ अथाथत्-

„(2) इसका विस्तार ि◌ŏत्र सŸपूणथ मध्य प्रर्दŏश हŐगा ।

(3) यह मध्य प्रर्दŏश कŏ ऐसŏ समस्त ि◌ŏत्रों में प्रभाि◌शील हŐगा क्जनमें कक ि◌ह मध्य प्रर्दŏश सŏककन्ड एततटŏन्शन ऑफ लॉज ऐतट, 1961 मध्य प्रर्दŏश द्वितीय विधि-विस्तार अधितनयम, 1961) कŏ प्रारम्भ हŐनŏ कŏ ि◌ीक पूि◌थ प्रभाि◌शील था और अन्य ि◌ŏत्रों में ऐसŏ ठर्दनाŸक कŐ प्रभाि◌शील हŐगा क्जसŏ राज्य शासन अधिसूचना द्ि◌ारा तनयत करŏ ।"

ि◌ारा 7 -उपिारा (2) में (1) " कŏ स्थान पर (1) स्थावपत ककया जाए । (अग्रŏजी प्रतत में)

12. मध्य भारत पररचयाथ गृह रक्जस्टराŸकि वि◌ि◌ाि◌, 1954 (क्रमाŸक 28 सि् 1954) ि◌ारा 1. उपिारा (2) तथा (3) कŏ स्थान पर तनन्नशलखित स्थावपत की जाएŏ. अथाथत्-

„(2) इसका विस्तार-ि◌ŏत्र सम्पूणŸ मध्य प्रर्दŏश हŐगा ।

(3) यह ऐसo समस्त िoत्रों में प्रभाि◌ शील हÕगा क्जनमें कक िह मध्य प्रर्दoश सÕककन्ड एतस- टo न्शन ऑफ लॉज ऐतट, 1961 (मध्य प्रर्दoश द्वितीय विधि विस्तार अधितनयम, 1961) कo प्रारम्भ हÕनo कo िoीक पूि◌थ प्रभाि◌शील था और अन्य िoत्रों में ऐसo ठर्दनाŸक कÕ प्रभाि◌शील हÕगा क्जसo राज्य शासन अधिसूचना द्ि◌ारा तनयत करo और शभन्न-शभन्न िoत्रों कo शलए शभन्न-शभन्न ठर्दनाŸक तनयत ककए जा सकेंगo ।

ि◌ारा 8 (1) उपिारा (1) में, ‘’कम सo कम एक सõर मास का सूचना पत्र र्दo" कo स्थान पर "सूचना पत्र र्दo, जÕ तीस ठर्दन सo कम का न हÕ," और "सूचना पत्र की प्राक्प्त सo एक सõर मास कo भीतर" कo स्थान पर "सूचना पत्र की प्राक्प्त कo ठर्दनाŸक सo तीस ठर्दन कo काल कo भीतर" स्थापत ककया जाय ।

(2) उपिारा (3) में, "एक सõर मास कo भीतर" कo स्थान पर "तीस ठर्दन कo काल कo भीतर" स्थापत ककया जाय ।

(3) उपिारा (4) में, "एक सõर मास" कo स्थान पर, "तीस ठर्दन का काल" स्थापत ककया जाय ।

ि◌ारा 13. ि◌ारा 13 कo स्थान पर तनम्नशलखित स्थापत की जाय, अथाथत्-- - 13. कम्पतनयों द्ि◌ारा अपराि◌—(1) जब इस विि◌ान कo अिीन कÕई अपराि◌ ककसी कम्पनी द्ि◌ारा ककया गया हÕ, तÕ कम्पनी तथा ऐसo प्रत्यoक व्यक्तत कÕ, जÕ अपराि◌ ककगo जानo कo समय कम्पनी का उसकo कारÕबार कo सŸचालन कo सम्बन्ि◌ में, कायथभार: रिता हÕ एिŸ उसकo प्रतत उत्तरर्दायी हÕ, अपराि◌ का र्दÕषी समझा जायoगा और ि◌o इस बात कo भागी होंगo कक तद् नुसार उनकo विæद्ध कायथिाह की जाय तथा उन्हें र्दक्ण्डत ककया जाय :

ककन्तु प्रततबन्ि◌ यह हÕ कक इस उपिारा में तनठहत कÕई भी बात ककसी ऐसo व्यक्तत कÕ र्दण्ड का भागी नह Ÿ बनायoगी यठर्द ि◌ह यह शसद्ध कर र्दo कक अपराि◌ उसकी जानकार कo बबना ककया गया था या यह कक उसनo अपराि◌ कo ककए जानo कÕ रÕकनo कo शलए पूर -पूर तत्परता बरती ।

(2) उपिारा (1) में चाहo कÕई भी बात तनठहत तयों न हÕ, जब इस विि◌ान कo अिीन अपराि◌ ककसी कम्पनी द्ि◌ारा ककया गया हÕ और यह शसद्ध कर ठर्दया जाय कक अपराि◌ कम्पनी कo ककसी सŸचालक, प्रबन्ि◌क, सoकo टर या अन्य पर्दाधिकार की सहमतत या उपoि◌ा सo ककया गया हÕ या यह कक उसकी ओर सo ककया गया प्रमार्द उस अपराि◌ कo ककए जानo का कारण हÕ, तÕ ऐसा सŸचालक, प्रबन्ि◌क, सoक्रo टर या अन्य पर्दाधिकार भी उस अपराि◌ का र्दÕषी समझा जायoगा और इस बात का भागी हÕगा कक तद् नुसार उसकo विæद्ध कायथिाह मी जाय तथा उसo र्दक्ण्डत ककया जाय ।

स्पष्ट करण--इस ि◌ारा कo आशयों कo शलए-

(कŸ) "कम्पनी" सo तात्पयथ ककसी तनगम तनकाय सo हÕ और उसमें फमथ या अन्य व्यक्तत सŸि◌ सक्म्मशलत हÕ; और

(ि◌) "सŸचालक" फमथ कo सम्बन्ि◌ में फमथ भागीर्दार हÕ । "

13. मध्य भारत कुष्ि◌ी नियन्त्रण बबिाि◌, 1955 (क्रमाŸक 14, सि् 1955)

सम्पूणथ विि◌ान में, „¸ ¸×¸ ¸ ~ ¸ कo स्थान पर „¸ ¸×¸ ¸ :s¸ ¸ ~ तथा „¸ ~ ¸ कo स्थान पर „¸ ¸×¸ ¸ :s¸ ¸ ~ स्थापत ककया जाए (.अŸग्रoजी प्रतत में)

ि◌ारा 1. उपिारा (2) (3) तथा (4) कo स्थान पर तनम्नशलखित स्थापत की जाय, अथाथत्-- " (2) इसका विस्तार ि◌oत्र सम्पूणथ मध्य प्रर्दoश हÕगा ।

(3) यह मध्य प्रर्दoश कo ऐसo समस्त ि◌oत्रों में प्रभाि◌शील हÕगा क्जनमें कक ि◌ह मध्य प्रर्दoश सÕककण्ड एतसटo न्शन आफ लाज ऐतट, 1961 (मध्य प्रर्दoश द्वितीय विधि-विस्तार अधितनयम, 1961) कo प्रारŸम्भ हÕनo कo िoीक पूि◌थ प्रभाि◌शील था और उतत अधितनयम कo प्रारम्भ हÕनo पर उन ि◌oत्रों में प्रभाि◌शील हÕगा क्जनमें ऐसo प्रारम्भ कo िoीक कÕई तत् स् थानी विधि प्रि◌ृत् त थी ककन्ह Ÿ अन्य ि◌oत्रों सo ऐसo विचाक की. प्रभाि◌शाल हÕगा क्जसo, राज्य शासन अधिसूचना द्ि◌ारा तनयत करo और अधितनयम कo शभन्न-शभन्न आर्दoशों कo शलए शभन्न-शभन्न ठर्दनाŸक तनयत ककए जा सकo गें । "

ि◌ारा 2. चरण (3) में „:××ˇ˘"x¸ ¸ कo स्थान पर „‹¸ ¸ ¸:¹¸ ¸ स्थापत ककया जाय (अŸग्रoजी प्रतत में)

ि◌ारा 3. "स्थानीय ि◌oत्र' ' कo स्थान पर ' 'ि◌oत्र' ' स्थापत ककया जाय ।

ि◌ारा 6 उपिारा (1) में, "स्थानीय ि◌oत्र' ' कo स्थान पर "ि◌oत्र' ' स्थावपत ककया जाय । ि◌ारा 8. उपिारा (1) कo द्वितीय प्रततबन्ि◌ में-

„s¸ ¸– ¸¹¸ ¸"¸ ‹¹ ¹¸ ¸:x˘]¸, ¹¸¥‹˘¹˘"¸ ¸ –˘˘ ¸ कo स्थान पर „s¸ ¸– ¸¹¸ ¸"¸ ‹¹ ¹¸ ¸:x˘]¸ ‹¹ ˘"sx˘xfix˘," ¹¸¥‹˘¹˘"¸ ¸ –˘˘ ¹ ˘x ¸ स्थापत ककया जाय (अŸग्रoजी प्रतत में)

पररलशष्ट--जहाँ कह Ÿ शब्द ' 'मध्य भारत' ' आयं हों िहाँ-िहाँ उनकं स्थान पर ' 'मध्य प्रर्दंश स्थावपत ककयं जायें ।

द्वितीय अिुसूची
(िारा 6 देखिये)

मध्य भारत भू-तनठहत िन विि ान सŸ ित् 2006 (क्रमाŸक 44 सन् 1949)

शसरोंज िंत्र में प्रयुतत Úप में र्द राजस्थान एडंÚशन आफ संत्रल लाज आर्डथनंन्स, 1950 क्रमाŸक 4, सन् 1950 ई जहाŸ तक उसका तनम्नशलखित सं सम्बन्ि हÕ-

(1) र्द इन्टरंस्ट ऐतट, 1839 (क्रमाŸक 32 सन् 1839)

(2) र्द इक्ण्डयन रंजर रÕि ऐतट, 1878 (क्रमाŸक 6 सन् 1878)

(3) र्द प्रजन्स ऐतट, 1894 (क्रमाŸक 9 सन् 1894)

(4) र्द लÕपसथ ऐतट, 1898 (क्रमाŸक 3 सन् 1898)

विन्ध्य प्रर्दंश तथा भÕपाल िंत्रों में प्रयुतत Úप में र्द मज्डथ स्टंट स (लाज) ऐतट, 1949 (क्रमाŸक 59 सन् 1949) जहाँ तक उसका तनम्नशलखित सं सम्बन्ि हÕ-

(1) र्द इन्टरंस्ट ऐतट, 1839 (क्रमाŸक 32 सन् 1839)

(2) र्द इक्ण्डयन रंजर रÕि ऐतट, 1878 (क्रमाŸक 6 सन् 1878)

(3) र्द वप्रजन्स ऐतट, 1894 (क्रमाŸक 6 सन् 1894)

(4) र्द लÕपसथ ऐतट, 1898 (क्रमाŸक 3 सन् 1898)

(5) र्द आइडंन्ट कफकं शन आफ वप्रननसथ ऐतट, 1920 (क्रमाŸक 33 सन् 1920)

(6) र्द पुशलस इन्साइटमेंट टू र्डसअफं तशन) ऐतट, 1922 (क्रमाŸक 22 सन् 1922) मध्य भारत इक्ण्डयन वप्रजन्स ऐतट, (भारतीय बन्त्रद गृह विि ान) (अŸगीकार) विि ान सŸ ित् 2006 (क्रमाŸक 23 सन् 1950)

मध्य भारत बन्त्रद अशभज्ञापन विि ान सŸ ित् 2008 (क्रमाŸक 15 सन् 1951)

र्द राजस्थान आइडंन्ट कफकं शन आफ वप्रजनसथ ऐतट, 1956 (क्रमाŸक. 12 सन् 1956)

महाकंशल िंत्र में प्रयुतत Úप में र्द लÕपसथ ऐतट, 1898 (क्रमाŸक 3 सन् 1898)

शसरोंज िंत्र में प्रयुतत Úप में र्द राजस्थान ररफयूज कनिरजन इन टू मंन्यÕर ऐतट 1951 (क्रमाŸक 6 सन् 1951) ।